संख्या-715/2025/आई/1191315/23-1-25/006-23-1002(002)/279/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 31 दिसम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 22 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 22 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2,24,65,000/- (रूपये दो करोड़ चौबीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0 सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	18257/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	16-12-2025
2	18295/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	18-12-2025
3	18159/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	05-12-2025
4	18362/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	20-12-2025
5	18367/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	22-12-2025
6	18415/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	24-12-2025

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-2 लखनऊ	लखनऊ वाराणसी मार्ग से कनकहा जबरौली मार्ग।	53 /2025/आई/ 863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	54.88 54.88 10.86 4.05 50.83	8.23	42.60	40.06

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	नि.ख.-1 खीरी	दरेरी से ठकुरीपुरवा सम्पर्क मार्ग।	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	238.37 238.37 145.22 67.01 171.36	163.22	8.14	8.14
3	नि.ख.-1 हरदोई	म्योढ़ा भदार कुसुमखोर मार्ग से बण्डारी सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य	137/2025/आई/908711/23-1-25/001-23-1002(002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	24.49 21.75 17.26 0.38 21.37	18.63	2.74	2.66
4	नि.ख.-1 हरदोई	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आदमपुर लिंक से मलवा अखवेलपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का विशेष मरम्मत का कार्य	137/2025/आई/908711/23-1-25/001-23-1002(002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	27.47 27.47 21.09 3.08 24.39	17.07	7.32	7.32
5	प्रा.ख. हरदोई	हरियावां काजवे से देवरिया प्रसिद्धनगर सम्पर्क मार्ग	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	51.11 43.61 35.32 1.64 41.97	34.47	7.50	7.50
6	नि.ख.-1 सीतापुर	नयागांव लालपुर सरायन नदी सेतु पहुच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच सम्पर्क मार्ग	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	42.50 36.50 30.55 0.45 36.05	30.05	6.00	6.00
7	प्रा.ख. लखनऊ	जनपद लखनऊ में सीतापुर मार्ग से फैजुल्लागंज अल्ताफखेड़ा दिवानाला धतिंगरा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	784 /2024/आई/838172/23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024 पार्ट-2 -दिनांक-31-12-2024	125.87 125.87 69.99 43.28 82.59	58.42	24.17	24.17
8	प्रा.ख. लखनऊ	जनपद लखनऊ में लखनऊ बिजनौर मार्ग से पराग तिराहा होते हुए कानपुर मार्ग पर आशियाना कालोनी सेक्टर एम-1 के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने चैराहे का निर्माण कार्य।	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	24.92 23.79 4.44 6.11 17.68	16.55	1.13	1.13
9	नि.ख.-2 रायबरेली	बाजपेईपुर से सोण्डासी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	10.62 10.62 5.20 0.78 9.84	6.89	2.95	2.95
10	नि.ख.-2 रायबरेली	चिलौला सम्पर्क मार्ग किमी0-1 से पूरे अल्पी	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-	20.37 18.69 12.44	15.18	1.68	1.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 मार्ग व के0सी0 ड्रेन के साथ विशेष मरम्मत का कार्य	1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	1.83 16.86			
11	नि.ख.-1 सीतापुर	हनुमानपुर से कंजा सम्पर्क मार्ग	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	49.62 42.68 35.82 0.41 42.27	35.33	6.94	6.94
12	नि.ख.-4 सीतापुर	डिगरा मदनियॉ भुड़कुड़ी सम्पर्क मार्ग	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	43.58 40.38 33.18 -2.18 42.56	29.79	12.77	9.50
13	नि.ख.-4 सीतापुर	गुरसण्डा ढकिया मार्ग से राव सम्पर्क मार्ग	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-14-02-2025	22.54 21.90 15.72 1.24 20.66	15.33	5.33	4.50
14	नि.ख.-4 सीतापुर	धोंधी सम्पर्क मार्ग	137/2025/आई/908711/23-1-25/001-23-1002(002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	12.17 11.90 8.39 0.93 10.97	7.68	3.29	2.85
15	नि.ख.-4 सीतापुर	हथिया सम्पर्क मार्ग	137/2025/आई/908711/23-1-25/001-23-1002(002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	17.16 17.16 11.65 1.43 15.73	12.01	3.72	2.50
16	प्रा.ख. उन्नाव	धानीखेड़ा डौंडिया खेड़ा वाया जयराजमऊ रायपुर होकर चन्दरपुर तक सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0 एवं नाली का कार्य।	37 /2025/आई/854717/23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	120.41 116.42 97.45 -3.54 119.96	71.18	48.78	45.50
17	प्रा.ख. उन्नाव	अकबरपुर कुम्भी से उमा खेड़ा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	37 /2025/आई/854717/23-1-25/001-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-17-01-2025	63.72 57.54 47.02 2.05 55.49	49.36	6.13	6.13
18	प्रा.ख. सीतापुर	शमशेरीपुरवा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	30.44 30.44 25.01 0.93 29.51	21.31	8.20	8.20
19	प्रा.ख. सीतापुर	सीपतपुर संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-	24.42 24.42 20.28 0.49	17.09	6.84	6.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	23.93			
20	प्रा.ख. सीतापुर	ईदगाहपुरवा से जबरपुरवा संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	37.64 37.64 30.58 1.56 36.08	26.35	9.73	9.73
21	नि.ख.-1 हरदोई	लमकन पुल से छितरामऊ से तड़ौरा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1x3 मी0 स्पान की बाक्स कल्वर्ट का निर्माण कार्य	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	33.49 33.49 21.10 4.24 29.25	20.47	8.78	8.78
22	नि.ख.-2 हरदोई	टिकारी से अरसेनी सम्पर्क मार्ग	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	68.37 68.37 50.00 8.94 59.43	47.86	11.57	11.57
						कुल योग-	**224.65**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 2,24,65,000/- (रूपये दो करोड़ चौबीस लाख पैंसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-715/2025/आई/1191315(1)/23-1-25/006-23-1002(002)/279/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in